

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2023—आषाढ़ 30, शक 1945

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2023

क्र. एफ. 10-08-2022-23-यो. आ. सां.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आदर्श चिकित्सालय, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, नंदा नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पंडित खुशीलाल शर्मा (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, नेहरू नगर, भोपाल मध्यप्रदेश के अधीक्षकों को, नामनिर्दिष्ट चिकित्सकों को रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के रूप में नियुक्त करने हेतु प्राधिकृत करती है.

No. F-10-08-2022-23-D.E.S.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the State Government, hereby, authorises the Superintendents of Adarsh Hospital, State Employees Insurance Corporation, Nanda Nagar, Indore, Madhya Pradesh and Pandit Khushi Lal Sharma (Autonomous) Ayurveda College, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh to appoint the nominated Doctors as Registrar, Registration of Births and Deaths.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिल्पा गुप्ता, अपर सचिव.